संख्या- 348 /2015/6116/नौ-2015-119सा/15

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 23 नवम्बर, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय परिवहन निदेशालय के संचालन हेतु वेतन, भत्ते आदि के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/269/स्टोर/150/न0प0रि0नि0/बजट/2015-16, दिनांक 15 नवम्बर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **नगरीय परिवहन निदेशालय** के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में वेतन मद में प्रावधानित धनराशि ₹ 100.00 लाख के सापेक्ष वेतन, भत्ते आदि के भुगतान हेतु **₹ 25.00 लाख (₹ पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय परिवहन निदेशालय में तैनात कार्मिकों के वेतन, भत्तों आदि के भुगतान हेतु किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का कोई भी अंश आहरित कर किसी बैंक /पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा तथा आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर व्यय किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर ही किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जायेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-07-नगरीय परिवहन निदेशालय-01-वेतन"*** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 348/2015/6116(1)/नौ-5-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-,

1- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेशलखनऊ।
5- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
8- सुपर यूजर, नगर विकास/ कम्प्यूटर सेल।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।